उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981}

THE UTTAR PRADESH MINISTERS (SALARIES, ALLOWANCES AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1981

[U.P. ACT NO. 14 OF 1981]

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981[1]

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981}

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 18 सितम्बर, 1981 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 22 सितम्बर, 1981 बैठक में स्वीकृत किया।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 01 अक्टूबर, 1981 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 3 अक्टूबर, 1981 को प्रकाशित हुआ।}

उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :——

1—— यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

2—— इस अधिनियम में, परिभाषायें

(क) ''सभा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है;

(ख) ''परिषद'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है;

(ग) ''परिवार'' का तात्पर्य किसी मंत्री के संबंध में उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन से है, जो ऐसे मंत्री के साथ रहते हों और उस पर पूर्णरूप से आश्रित हों;

(घ) ''अनुरक्षण'' के अन्तर्गत किसी निवास स्थान के सम्बन्ध में, स्थानीय रेट और करों का भुगतान करना और जल और विद्युत् शुल्क सहित विद्युत की व्यवस्था करना भी है;

(ङ) ''मंत्री'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य से है और इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और राज्य के उपमंत्री भी हैं।

3—— (1) प्रत्येक मंत्री और राज्य मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त {पांच हजार रूपये}[2] प्रति मास के वेतन का हकदार होगा। वेतन

(2) प्रत्येक उपमंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त {चार हजार रूपये}[3] प्रति मास के वेतन का हकदार होगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट वेतन उस कर के अतिरिक्त होगा, जो उस वेतन (जिसके अन्तर्गत परिलब्धियां भी हैं) के संबंध में आयकर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय हो और ऐसे कर का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जायगा।

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 16 सितम्बर, 1981 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।
2. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13, 2005 की धारा 12 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 12 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

4—— (1) प्रत्येक मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त और उसके पश्चात् पन्द्रह दिन की निवास स्थान

अवधि के लिये लखनऊ में निवास–स्थान का, किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा, जिसे विहित मानदण्ड के अनुसार सरकारी व्यय पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायगा।

{(1–क) प्रत्येक मंत्री, जिसके उपयोग के लिए उपधारा (1) के अधीन लखनऊ में निवास–स्थान की व्यवस्था की गई हो, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् ऐसे वास–स्थान को रिक्त कर देगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उस वास–स्थान का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण–– इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''मंत्री'' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो मंत्री न रह गया हो और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जिसे मंत्री का दर्जा दिया गया था।}1

(2) जहां किसी मंत्री को उपधारा (1) के अनुसार निवास स्थान की व्यवस्था न की गयी हो, या वह उक्त उपधारा के लाभ का उपभोग न करे, वहां वह (क) उपमंत्री की स्थिति में, तीन सौ रूपये प्रति मास, और (ख) किसी अन्य स्थिति में पांच सौ रूपये प्रति मास की दर पर प्रतिकर भत्ता पाने का हकदार होगा।

कतिपय आवासों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

{4–क–– (1) उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख–सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, राज्य सरकार धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी मंत्री को समय पर निवास–स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिसूचित आदेश द्वारा राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन किसी टाइप–छः आवास को या ऐसे आवास को, जो किसी समय किसी मंत्री के अध्यासन में था, मंत्री आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई आवास केवल मंत्री को आवंटित किया जायेगा और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जायेगा।

(2) यदि धारा 4 की उपधारा (1–क) में निर्दिष्ट मंत्री से भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में किसी आवंटन आदेश के आधार पर या अन्यथा उपधारा (1) के अधीन मंत्री आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कोई आवास हो तो राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे व्यक्ति के आवंटन आदेश को, यदि कोई हो रद्द कर सकता है और लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से ऐसी नोटिस की उस पर तामील किए जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त आवास को खाली करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त आवास को उक्त अवधि के भीतर खाली करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई अधिकारी उक्त आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।}2

सवारी

5–– (1) प्रत्येक मंत्री को अपनी पदावधि में आद्योपान्त एक मोटर गाड़ी और उसे चलाने के लिये शोफर की व्यवस्था की जायगी, जिसका क्रय और अनुरक्षण सरकारी व्यय पर इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी का उपयोग करने के लिये निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 05 वर्ष 1990 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 8 वर्ष 1997 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी समय किसी उप मंत्री को दी गयी मोटर गाड़ी विधिमान्य रूप से दी गयी समझी जायगी।

यात्रा भत्ता आदि

6–– {(1) उप मंत्री से भिन्न प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गई यात्रा हेतु अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जायं, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च का हकदार होगा।}2

(2) प्रत्येक उप मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के संबंध में, (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गई यात्रा हेतु {ऐसे दिनांक से, ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों पर, जो विहित की जायं, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च}1 का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक मंत्री——

(क) पद ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ लखनऊ के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान से लखनऊ के लिये यात्रा करने के संबंध में, और

(ख) पद त्याग करने पर लखनऊ से लखनऊ के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक यात्रा करने के संबंध में, अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये और अपने परिवार के सामान के परिवहन के लिये यात्रा–भत्ता का हकदार होगा।

(4) उपधारा (1) से (3) में किसी बात के होते हुए भी किसी मंत्री को धारा 5 में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी या राज्य सरकार की किसी अन्य गाड़ी से की गयी यात्रा के लिये कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

7—— प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के संबंध में की गयी, यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सर्किट हाउस, निरीक्षण गृह या अन्य विश्राम गृह का प्रयोग करने का हकदार होगा। सर्किट हाउस आदि का उपयोग

8—— प्रत्येक मंत्री और उसके परिवार के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों में निःशुल्क आवास और उन सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायं, चिकित्सा, परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे। चिकित्सा सुविधा

9—— जिस दिनांक से कोई व्यक्ति मंत्री बनता है या नहीं रहता है उसे सरकारी गजट में अधिसूचित किया जायगा और कोई ऐसी अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस दिनांक से मंत्री बना या नहीं रह गया। मंत्री के पद पर नियुक्ति और उसकी रिक्ति की अधिसूचना

10—— कोई मंत्री अपनी पदावधि के दौरान जिसके लिये वह वेतन और भत्ता लेता है, मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न कोई वृत्ति या कोई व्यापार या पारिश्रमिक के लिये कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा। कोई वृत्ति करने का निषेध

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 15 वर्ष 1989 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित। 2. उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26, 2005 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

11—— प्रत्येक मंत्री जो, यथास्थिति, सभा या परिषद् का सदस्य हो, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 4, 9, 18 और अध्याय आठ के अधीन उपलब्ध लाभों का उपभोग करता रहेगा। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1980 के अधीन सुविधायें

12—— कोई मंत्री, किसी समय, ऐसे वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का, जिनका वह हकदार है, पूर्णतया या उसके किसी भाग का त्याग इस आशय की लिखित घोषणा द्वारा कर सकता है : वेतन आदि का त्याग

परन्तु ऐसा कोई त्याग उसी प्रकार किसी भी समय अग्रगामी प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

13—— (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

(2) धारा 14 द्वारा निरसित अधिनियमिति के अधीन बनाये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को प्रवृत्त सभी नियम, जहां तक वे इस

अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे, और वे तब तक विधिमान्य और प्रभावी बने रहेंगे जब तक कि उन्हें उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निरसित न किया जाय।

निरसन

14–– उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, 1952 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

THE UTTAR PRADESH MINISTERS (SALARIES, ALLOWANCES AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1981

[U. P. ACT NO. 14 OF 1981]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on September 18, 1981 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on September 22, 1981.

Received the assent of the Governor on October 1, 1981 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated October 3, 1981.]

AN

ACT

to consolidate and amend the law relating to the salaries, allowances and other facilities to Ministers of the State of Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows :--

Short title and

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

Definitions

2. In this Act,-

(a) "Assembly' 'means' the Uttar Pradesh Legislative Assembly;

(b) 'Council' means the Uttar Pradesh Legislative Council ;

(e) "family' in relation to a Minister means his or her spouse, son, daughter, father, mother, brother or sister residing with and wholly dependent on such Minister;

(d) 'maintenance' in relation to a residence includes the payment of local rates and taxes and the provision for water and electricity including electricity duty;

(e) 'Minister' means a member of the Council of Ministers of the Government of Uttar Pradesh and includes the Chief Minister, a Minister of State and a Deputy Minister of that State.

Salary of

3. (1) Every Minister and Minister of State shall be entitled throughout the term his office, to a salary of [five thousand rupees][2] per month.

(2) Every Deputy Minister shall be entitled, throughout the term of his office, to a salary of [four thousand rupees][3] per month.

(3) The salary referred to in sub-sections (1) and (2) shall be exclusive of the tax payable in respect of such salary (including perquisites) under any law relating to income tax for the time being in force, and such tax shall be borne by the State Government.

2.Subs. by section 12 (a) of Uttarakhand Act No. 13 of 2005. 3.Subs. by section 12 (b) ibid.

Residence

4. (1) Each Minister shall be entitled without payment of any rent to the use throughout the term of his office and for period of fifteen days thereafter, of a residence at Lucknow which shall be furnished and maintained at public expense at the prescribed scale.

[(1-A) Each Minister for whose use a residence at Lucknow has been provided under sub-section (1) shall immediately after the expiration of the period referred to in that sub-section, vacate such accommodation and an officer authorized by the State Government in this behalf may take possession of the accommodation and may for the purpose use such force as may be necessary in the circumstances.

Explanation— For the purposes of this sub-section 'Minister' includes a person who has ceased to be a Minister and also includes a person who was given the status of a Minister.][1]

(2) Where a Minister has not been provided with a residence in accordance with sub-section (1), or does not avail of the benefit of the said sub-section, he shall be entitled to a compensatory allowance at the rate of-

(a) three hundred rupees per month in the case of Deputy Minister, and

(b) five hundred rupees per month in any other case.

[Special provisions regarding residence to certain accom- modations type-VI occupation at State be

4-A (1) On and from the commencement of the Uttar Pradesh Ministers and State Legislatures, Officers and Members Amenities Laws (Amendment) Act, 1997, the State Government may, with a view to ensuring timely availability of a minister under sub-section (1) of section 4 by a notified order, specify any VI accommodation or an accommodation in which a Minister was in any time, under the control and management of the Estate Department of the Government, as Ministers residence and an accommodation so specified shall allotted to a Minister only and not to any other person.

(2) The State Government, or an officer authorized by it in this behalf may, if a person other than a Minister referred to in sub-section (1-A) of section 4 is in occupation of an accommodation specified as Ministers' residence under sub-section (1) on the basis of any allotment order or otherwise, cancel the allotment order of such person if any, and by notice in writing require such person to vacate the said accommodation within fifteen days from the date of service upon him of such notice, and if such person fails to vacate the said accommodation within the said period, an officer authorized by the State Government in this behalf may take possession of the said accommodation and may for the purpose use such force as may be necessary in the circumstances.][2]

Conveyances

5. (1) Each Minister shall, throughout the term of his office, be provided with a chauffeur driven motor vehicle which shall be purchased and maintained at public expense in accordance with the rules made in that behalf.

(2) The terms and conditions for the use of the motor vehicle referred to in sub- section (1) shall be such as may be prescribed.

1.Added by section 2 of U.P. Act No. 05 of 1990.
2.Added by section 2 of U.P. Act No. 8 of 1997.

[The Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous [Section 6-10] Provisions) Act, 1981]

(3) The motor vehicle provided to a Deputy Minister at any time before the commencement of this Act shall be deemed to have been validly provided.

Travelling allowance etc. of conditions

6. [(1) Each Minister other than a Deputy Minister shall be entitled for journeys (whether by land, sea or air) performed in connection with the discharge his official duties to travelling allowance and out of pocket expenses for himself and the members of his family at such rates and upon such as may be prescribed.][2]

(2) Each Deputy Minister shall be entitled for journeys (whether by land, sea or air) performed in connection with the discharge of his official duties to [travelling allowance and out-of-pocket expense from such date, at such rates and upon such conditions as may be prescribed.][1]

(3) Each Minister shall be entitled to travelling allowance for himself and the members of his family and for the transport of his and his family's effects---

(a) in respect of the journey to Lucknow from his usual place of residence outside Lucknow for the purposes of assuming office; and

(b) in respect of the journey from Lucknow to his usual place of residence outside Lucknow on relinquishing office.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) to (3), no travelling allowance shall be payable to a Minister in respect of journeys performed in the motor vehicle referred to in section 5 or any other vehicle belonging to the State Government.

Use of Circuit house etc. by of

7. Every Minister shall be entitled and be deemed always to be entitled to the use of the circuit house, inspection house or other rest houses maintained the State Government without payment of any rent or electricity charges during the course of journeys performed in connection with the discharge his official duties.

Medical facility to may

8. Every Minister and the members of his family shall be entitled, free of charge, to accommodation in hospitals maintained by the State Government and medical attendance and treatment in accordance with such principles as be prescribed.

Notification of appointment and vacancy in the office of a Minister

9. The date on which any person became or ceased to be a Minister shall be notified in the official *Gazette* and any such notification shall be conclusive evidence of the fact that he became, or ceased to be a Minister, on that date.

Prohibition against practising and profession etc.

10. No Minister shall during the tenure of his office for which he draws his salary and allowance, practise any profession or engage in any trade or undertake of remuneration any employment other than his duties as Minister.

1.Substituted by section 10 of U.P. Act No. 18 of 1989.

2.Subs. by section 2 of Uttarakhand Act No. 26 of 2005.

[The Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous [Section 11-14] Provisions) Act, 1981]

Facilities under 11. Every Minister who is a member of the Assembly or council, as the case
may U.P. Act 23 of be, shall continue to enjoy the benefits available to him under
section 4,9,18 1980 and Chapter VIII of the Uttar Pradesh State Legislature
(Members' Emoluments and Pension) Act, 1980.

Relinquishment 12. A Minister may, at any time, relinquish the whole or any part of the
salary, of salary etc. allowance or other facilities to which he is entitled by making a
written declaration to that effect :

Provided that any such relinquishment may likewise be cancelled by him at any time with prospective effect.

Rules making 13. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the power purposes of this Act.

(2) All rules made under the enactment repealed by section 14 and in force on the date immediately preceding the date of commencement of this Act shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made under this Act and they shall continue to be valid and effective until they are repealed by new rules made under sub-section (1).

Repeal 14. The Uttar Pradesh Ministers and Deputy Ministers (Salaries and Allowances) Act, 1952, is hereby repealed.